निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 120 वर्ष 2018 -19

निरीक्षण आख्या **अधिशासी अभियन्ता**, **निर्माण खण्ड**, **लोक निर्माण विभाग**, **श्रीनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**,** उत्तराखण्ड**,** देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियन्ता, **निर्माण खण्ड**, **लोक निर्माण विभाग**, **श्रीनगर** के माह 02/2018 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा श्री गौरव रावत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12/02/2019 से 20/02/2019 तक श्री जगमोहन सिंह रावत, वरि लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।।

भाग-प्रथम

1. **परिचयात्मकः** इस खण्ड की विगत लेखापरीक्षा श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं श्री जितेन्द्र तिमोली, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14-02-2018 से 22-02-2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण दिनांक 19.02.2018 से 22.02.2018 में सम्पन्न हुई थी जिसमे खण्ड के माह मई 2016 से जनवरी 2018 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2018 से 01/2019 तक के लेखाभिलेखों की समान्यतया जांच की गयी।

1. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः – कोट, खिर्सू, पाबों, यमकेश्वर ब्लॉक में मार्ग निर्माण एवं मरम्मत कार्य

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

` *लाख में*

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2016-17			464.45	464.25	2176.07	2176.07		0.20 समर्पित
2017-18		20.96	524.06	518.93	2880.76	2880.75		5.13 समर्पित
2018 -19 (जनवरी तक)		61.07	518.73	405.91	1460.69	807.37		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2016-17	**शून्य**				
2017-18					
2018 -19 (जनवरी तक)					

1. इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना, जिला योजना एवं केंद्र के द्वारा किया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

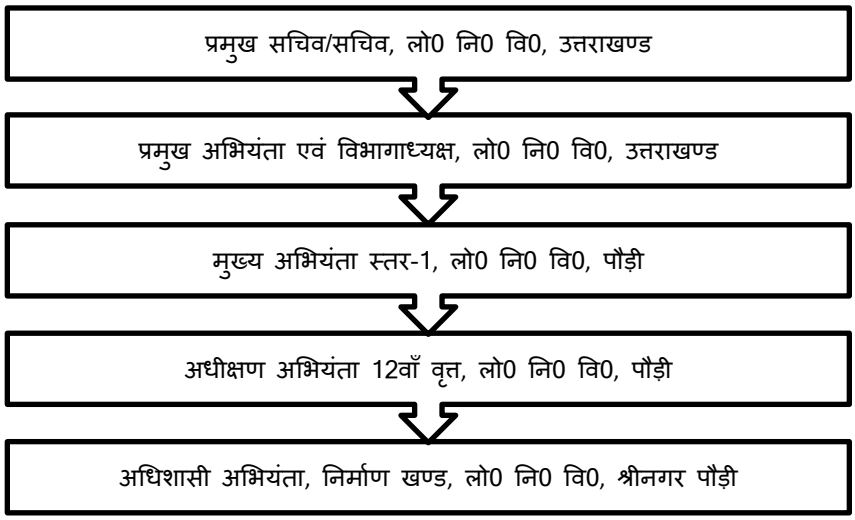

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अंतर्गत कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0, श्रीनगर, पौड़ी के माह 02/2018 से 01/2019 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर, पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। एच एन बी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौरास परिसर को शहर से जोड़ने हेतु अलकनंदा नदी पर 190 मीटर स्पान डबल लेन मोटर मार्ग व फरासू-मंदोली-चकवाली-

चौखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से कि0मी0 11.00 तक डामरीकरण का कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

2. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 04.02.2019 से 08.02.2019 तक निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2017 तथा 09/2017 तक की गई।

4. फार्म 51: माह जनवरी 2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` 240947.72
भाग द्वितीय ` 81017.85

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह फरवरी 2018 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 20,74,318.00

(ख) सामग्री क्रय ` शून्य

(ग) नगद परिशोधन ` शून्य

(घ) निक्षेप ` 1,53,01,733.00

(ङ) भण्डार ` 2134235

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-1 : कार्य निर्माण पर रु 1079.98 लाख व्यय होने के बाद एवं 12 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी कार्य अपूर्ण रहना।

पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र यमकेशवर के अंतर्गत कौड़ियाला ब्यासघाट मोटर मार्ग निर्माणकार्य की स्वीकृति माह अगस्त 2006 में 21 किमी लंबाई (सेतु सहित) हेतु रु 1579.80 लाख की प्रदान की गयी थी एवं प्राविधिक स्वीकृति माह सितंबर 2007 में रु 476.47 लाख की मुख्य अभियंता (ग क्षे) पौड़ी द्वारा प्रदान की गयी थी इसके बाद पुनः जनवरी 2014 में रु 62.13 लाख की एवं जून 2017 में रु 538.60 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी अर्थात कार्य हेतु कुल रु 956.92 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी थी।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर की लेखापरीक्षा (माह फरवरी 2019) में पाया गया कि खण्ड द्वारा देवप्रयाग में कौड़ियाला की वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, ब्यासघाट में सतपुली क्षेत्र के लोगो को प्रदेश की राजधानी से सीधा सम्पर्क दिलाने एवं अलकनंदा नदी के बायीं ओर स्थित गाँव विजयपुर, डांगु तल्ला, महादेव चट्टी चाँदपुर, पट्टी सेरा, दावड, सिमाल्यू, खाण्ड, कांडी, बागी आदि गाँव के लोगो को यातायात उपलब्ध करने के उद्देश्य से वर्ष 2008 में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था। लेखापरिक्षा में आगे पाया गया कि खण्ड द्वारा स्वीकृति को 12 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं था। खण्ड द्वारा सम्पूर्ण लंबाई में निर्माण के साथ एक छोटे सेतु का निर्माण तो किया गया था किन्तु नदी पर बनाने वाले 180 मी स्पान ओटर सेतु का निर्माण काश्तकारो के विवाद के कारण नहीं किया जा सका था जबकि कार्य पर रु 1079 लाख का भुगतान माह जनवरी 2019 तक किया जा चुका था।

लेखापरीक्षा में पुछे जाने पर खंडीय आख्या में बतलाया गया कि काश्तकारो को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

लेखापरीक्षा को खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 12 वर्ष से भी ज्यादा समय व्यतीत होने के बाद भी मुख्य सेतु (180 मी स्पान) का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका था एवं मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध नहीं था। जबकि शासन द्वारा प्रशासनिक एवं विततति स्वीकृति देते समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भूमि अर्जन कर कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जाएगा। इसके बावजिद कार्य पर रु 1079.98 का व्यय किया जा चुका था। जिससे न तो कौड़ियाला से देवप्रयाग के बीच वैकल्पिक मार्ग का संयोजन हो पाया और न ही दर्जनो गावों के लोगो को यातायात का लाभ मिला।

अतः रु 1079 लाख का व्यय होने के बाद भी एवं 12 वर्षो से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी कार्य पूर्ण न हो सकने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर: 2 - अधोमानक निर्माण कार्य पर रु 168 लाख का व्यय ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में फरासू-मंदोली-चकवाली-चौखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से कि0मी0 11.00 तक डामरीकरण का कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 7076/III(2)/13-41(प्रा°आ°)/2013 दिनाक 20.12.2013 के द्वारा 10 किमी हेतु लागत ` 397.61 लाख की प्राप्ति हुई थी। इसकी प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियंता (ग0क्षे0), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के पत्रांक 292/12(130)मा0मु0घो0(20)-पर्व0/2015 दिनाक 12.02.2015 के द्वारा प्रदान की गई।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि जिस जगह मार्ग का निर्माण किया जाना था वहाँ की CBR value 8 थी। payment design करने के लिए IRC:SP 72-2007 के मानको का सज्ञान लिया गया था। IRC:SP 72-2007 के अनुसार CBR value 8 के स्तर पर blacktop करने के लिए न्यूनतम pavement thickness 275 mm (G-1 100 mm; G-2 100 mm; व G-3 75 mm) होनी चाहिए जबकि pavement design करते समय खंड द्वारा pavement thickness 250 mm (G-1 100 mm; G-2 75 mm; व G-3 75 mm) लिया गया था व उसी के अनुसार कार्य संपादित किया जा रहा है। इस तरह G-2 की मोटाई 25 mm कम कर दी गयी जिससे पूरा निर्माण कार्य अधोमानक हो गया। उक्त कार्य के सम्पादन में अभी तक G-1, G-2, G-3, Seal coat व Tack coat बिछाने में (सात अनुबन्धो के अंतर्गत) लगभग रू 168 लाख का व्यय किया जा चुका है (संलग्नक 1)।

खंड ने अपने उत्तर मे बताया गया कि उक्त मार्ग ग्रामीण मार्ग है, जिसमे ट्रेफिक कम होने व शासन द्वारा डामरीकरण का कार्य स्वीकृत किए जाने के पश्चात मार्ग निर्माण हेतु गठित आगणन में IRC-72 एवं लोक निर्माण विभाग में प्रचलित सामान्य विशिष्टियों के अनरूप G-1 की मोटाई 100 mm, G-2 की मोटाई 75 mm G-3 की मोटाई 75 mm एवं पी सी की मोटाई 20 mm का प्रावधान किया गया है।

खण्ड ने उत्तर से स्वतः ही माना है कि आगणन में pavement thickness को IRC:SP 72-2007 के अनुसार लिया जाना बताए जाने के बावजूद IRC के विशिष्टियों का अनुपालन नही किया गया है। साथ ही खण्ड ने उत्तर में बताया कि traffic कम था जबकि कोई भी traffic census नहीं कराया गया था।

अतः रु 168 लाख का अधोमानक निर्माण कार्य का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है |

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग-दो 'अ'	भाग-दो 'ब'
1.	61/90-91	-	1,2,3,4,5
2.	190/1991-92		1,2,3,4,5
3.	64/1994-95	1,2,3	4,5
4.	188/1995-96	1	2,3
5.	167/1997-98	1,2	3
6.	198/1998-99	1,2	3
7.	18/2000-01	1	2
8.	47/2001-02	1	2
9.	40/2003-04	1,2,3	-
10.	78/2004-05	1,2	1
11.	86/2005-06	1	2
12.	36/2007-08	1,2	
13.	62/2008-09	1,2	-
14.	61/2011-12	1	-
15.	59/2012-13	1,2,3	1
16.	01/2014-15	**1,2,3**	**1,2,3,**4
17.	08/2016-17	1	-
18.	**102/2017-18**	-	**1,3,4**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर, पौड़ी** के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः** 244/L, 277/L
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य

3. **विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

नाम	पदनाम	अवधि
श्री सुरेश कुमार तोमर	अधिशासी अभियन्ता	01.02.2013 से 14.01.2019
श्री डी सी नौटियाल	अधिशासी अभियन्ता	14.01.2019 से अब तक

4. **विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे:**

नाम	पदनाम
श्री नरेन्द्र सिंह रावत,	खंडीय लेखाकार

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर, पौड़ी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र - 2